सूचना का अधिकार मामला/समयबद्ध
अति तत्काल
स्पीड पोस्ट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066
www.epfiindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

8 अगस्त AUG 2011

संख्या मा.सं.प्र./ सूचना का अधिकार/ 662/2011 / 581 दिनांक 1/8/2011

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना ।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत श्री/श्रीमती राजीव शुक्ला द्वारा उनके लिखित आवेदन दिनांक 4/7/11 के द्वारा सूचना हेतु अनुरोध किया गया है।

2. चूंकि, मुझे उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने पर अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस पर विचार कर सूचना देना आवश्यक है।

3. एवं चूंकि अधिनियम की धारा 5(4) में प्रावधान है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, यदि उचित समझे, अपने कर्तव्य के उचित निर्वाह हेतु किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। उप पैरा (5) में आगे यह प्रावधान भी है कि जिस अधिकारी से सहायता मांगी गई है वह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पूरी सहायता देगा। यदि अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण शिकायत भेज दी जाती है, तो ऐसे अन्य अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी माना जाएगा एवं वह अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्ड का भागी हो सकता है। आगे, उपबन्धों का उल्लंघन होने अथवा दस्तावेज/सूचना उपलब्ध न कराने पर ऐसा अधिकारी अधिनियम की धारा 20 (1) के अन्तर्गत देरी के लिए, 250/-रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड का भागी होगा जो कि 25000/-रूपये तक बढ़ सकता है।

4. एवं चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) में प्रावधान है कि:

"जब सूचना के लिए जन अधिकारी को आवेदन किया गया होः-"

(i) जो किसी अन्य जन अधिकारी के पास उपलब्ध हो ; अथवा

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य जन प्राधिकारी के कार्यों से संबंध रखती हो।

जिस जन प्राधिकारी को ऐसा आवेदन किया गया हो, वह आवेदन को अथवा इसके किसी भाग को, जैसा उचित समझे, उस अन्य अधिकारी के पास स्थानांतरित करेगा एंव आवेदन कर्त्ता को ऐसे स्थानांतरण की तत्काल सूचना देगा।

चूंकि आवेदन की जाँच से मैंने पाया है कि आवेदनकर्ता ने निम्नलिखित मदों पर सूचना मांगी है:

1.
2. क्र.सं. 2, 3,
3.
4.

आवेदन की फोटोकापी
पत्र संख्या शून्य
____
दिनांक 4/7/11 के साथ
संलग्न है

जो सभी क्षेत्रों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारिओं/____________ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से संबंधित एंव उपलब्ध हैं। मैं उक्त अधिनियम की धारा 5(4) का उपयोग करते हुए आवेदनकर्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गई सूचना/दस्तावेज इस प्रति की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र को स्थानांतरित करता हूँ । कृपया आप नोट करें की मांगी गई सूचना/दस्तावेज निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने में हुई देरी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दाण्डिक उपबन्ध है ।

कृपया इसे **अति तत्काल** समझे ।

(पी.के अग्रवाल)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(मा.सं.प्र.)

सेवा में,

1. ~~क्षेत्र के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी~~ ____________________ ।
2. सभी क्षेत्रो के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी वैब प्रशासक, एन.डी.सी., इस पत्र की प्रतिलिपि एवं दिनांक 4/7/11 का आवेदन पत्र संगठन की वेबसाईट पर डालने के लिए।
3. श्री/श्रीमति____________________ ।
____________________ ।
____________________ ।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(मा.सं.प्र.)

(2)

सूचना का अधिकार–2005

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
PID अनुभाग,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
14, भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली।

महोदय,

कृपया कर मुझे निम्न सूचना प्रदान करे। निर्धारित शुल्क 10 रू0 का पोस्टल आर्डर ~~सं0~~ ....~~दिनांक~~ ....संलग्न है।

1. के0भ0नि0 कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विभागीय प्रवर्तन अधिकारी लेखाधिकारी परीक्षा 2009 के पद पर चयन हुये उम्मीदवारो की प्रदेशानुसार अधिकतम व न्यूतनम अंक का विवरण उपलब्ध कराये।

PI transfer to RC-HRM. 11.7.2011

2. चयनित उम्मीदवारो मे प्रदेशानुसार कितनो की पोस्टिंग उसी कार्यालय मे की गई जिसमे वो कार्य कर रहे थे एवं कितनो का स्थानांतरण अन्य कार्यालय मे किया गया था।
3. स्थानांतरण किये गए उम्मीदवारो मे कितनों ने नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया एवं कितनो का स्थानांतरण निरस्त किया गया।

SO(PID)

1143 14/7/11

4. क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 (कानपुर, मेरठ) में स्थानातरण किए गये उम्मीदवारों मे कितने उम्मीदवारो के स्थानान्तरण निरस्त न किए जाने के बावजूद भी आज तक नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही किया इसका विवरण दे।
5. कृपया अवगत कराये कि वाराणसी कार्यालय एवं इलाहाबाद कार्यालय मे कितने लेखाधिकारियों कीं कार्यालयवार आवश्यकता है। प्रार्थी को प्राप्त सूचना के अनुसार वाराणसी कार्यालय मे नियमतः जितने लेखाधिकारियो की आवश्यकता है उससे कम लेखाधिकारी कार्यरत है एवं इलाहाबाद कार्यालय मे वांछित लेखाधिकारियो से ज्यादा लेखा अधिकारी कार्यरत है।
6. कृपया अवगत करायें कि किन कारणों से गोरखपुर कार्यालय से दो लेखाधिकारियों श्री अरूण कुमार गौड़ एवं श्री मिथलेश चौधरी का

(1)

स्थानान्तरण वाराणसी कार्यालय किया गया एवं श्री जवाहर लाल को गोरखपुर कार्यालय मे ही रखा गया ।

7. कृपया अवगत कराये कि इलाहाबाद कार्यालय से स्थानंतरित लेखाधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी श्री बच्छराज पटेल एवं श्री राधेश्याम का स्थानांन्तरण वाराणसी कार्यालय हो जाने के बावजूद वे आज तक इलाहाबाद कार्यालय से कार्यमुक्त क्यो नही हुये।

8. क्रम–संख्या 5 मे वर्णित दोनो अधिकारियो का स्थानान्तरण यदि निरस्त किया गया है तो उक्त आदेश की एक प्रति एवं उसको निरस्त किए जाने के आधार से संबंधित नोटिंग की एक प्रति भी उपलब्ध कराये।

9. यदि उक्त दोनो अधिकारी अनाधिकृत रूप से इलाहाबाद कार्यालय मे पिछले कई महीनो से कार्य कर रहे है तो इसके लिये कौन–कौन उच्चाधिकारी जिम्मेदार हैं उनका विवरण दे तथा इस प्रार्थना पत्र के जवाब देने तक उक्त दोनो अधिकारियो (यदि अनाधिकृत रूप से इलाहाबाद कार्यालय मे काम कर रहे हो) को कार्यमुक्त किया गया या नही इसका विवरण प्रदान करे।

10. कृपया उक्त सूचना समय बचाने के लिए प्रार्थी को उसके ई–मेल rajeev.shukla@rediffmail.com पते पर प्रेषित करे। कृपया उक्त सूचना को हिन्दी भाषा मे प्रदान करने को प्राथमिकता दे।

दिनांक 04.07.2011

प्रार्थी

राजीव शुक्ला
विकास सदन (पोस्ट आफिस के पास)
गोविन्द नगर,
कानपुर

संलग्न– पोस्टल आर्डर।